

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1555 / 2017 / अलवर.
2. अपील संख्या – 1556 / 2017 / अलवर.
3. अपील संख्या – 1557 / 2017 / अलवर.
4. अपील संख्या – 1558 / 2017 / अलवर.
5. अपील संख्या – 1559 / 2017 / अलवर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन—राजस्थान,  
वृत्त—तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

### बनाम

मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड,  
खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या – 1709 / 2017 / अलवर.
7. अपील संख्या – 1710 / 2017 / अलवर.
8. अपील संख्या – 1711 / 2017 / अलवर.
9. अपील संख्या – 1712 / 2017 / अलवर.
10. अपील संख्या – 1713 / 2017 / अलवर.

मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड,  
एफ—195, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया,  
खुशखेड़ा, गणपति प्लाजा, भिवाड़ी, अलवर.

.....अपीलार्थी.

### बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन—राजस्थान,  
वृत्त—तृतीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

### खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य


### उपस्थित ::

श्री डी. पी. ओझा, उप—राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.  
श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 11 / 2018

### निर्णय

1. अपील संख्या 1555 / 2017 से 1559 / 2017 अपीलार्थी राजस्व द्वारा एवं अपील संख्या 1709 / 2017 से 1713 / 2017 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 30 / 99941735085, 31 / 99941735339, 32 / 99941735805, 33 / 99941736041 व 34 / 99941736290 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 23.6.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन—राजस्थान, वृत्त—तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वृत्त—तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा

 लगातार.....2

 3

1-10. अपील संख्या—1555, 1558, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25/26, 55 व 61(2)(ए) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 23.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए सृजित मांग को समाप्त किया गया, किन्तु प्रकरण में पुनः जांच किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अतः सृजित मांग अपार्त किये जाने एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भी अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयरन एवं स्टील का कारोबार किया जा रहा था जिसमें इनकी औद्योगिक इकाई द्वारा आयरन एवं स्टील की खरीद कच्चे माल के रूप में की जाकर उससे विभिन्न प्रकृति की आयरन एवं स्टील की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा था। फर्म द्वारा वर्ष 2011-12 से निरन्तर त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र मय अनिवार्य खरीद बिक्री के विवरण प्रपत्र यथा वैट-07, वैट-08 प्रस्तुत किये गये थे, जिनके आधार पर व्यवहारी के क्षेत्राधिकार प्राप्त नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समय-समय पर कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, जिसमें उनके द्वारा घोषित किये गये क्रय एवं विक्रय के समर्त संव्यवहारों को स्वीकार करते हुए आई.टी.सी. का समायोजन भी प्रदान कर दिया गया था। इस तरह व्यवहारी के क्षेत्राधिकार प्राप्त नियमित कर निर्धारण अधिकारी (Regular Assessing Authority) द्वारा विधि अनुसार वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कर निर्धारण आदेश पारित किये हुए थे।

4. व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिकरापवंचन वृत्त राजस्थान, जयपुर (Anti-evasion wing) के अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2016 को की गयी थी। सर्वेक्षण के पश्चात् दिनांक 23.2.2016 को नोटिस जारी किया जाकर वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक के क्रय किये गये माल के खरीद बिल एवं माल की डिलीवरी के दस्तावेज तथा खरीद बिक्री के Mode of Payment के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिये गये, जिसका

लगातार.....3

3/

2

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

जवाब व्यवसायी की ओर से दिनांक 09.03.2016 को दिया जाकर यह अवगत कराया गया कि आयकर विभाग द्वारा दिनांक 29.12.2015 को सर्वेक्षण किया जाकर उनकी समस्त खरीद बिक्री के इन्वॉयस जब्त होने से प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। पुनः नोटिस जारी करने पर दिनांक 02.12.2016 को व्यवहारी द्वारा स्वयं की फर्म के सभी वर्षों के कर निर्धारण आदेश तथा समस्त अधियों के विवरण—प्रपत्रों की प्रतियों के अलावा जिन व्यवसायियों से माल का क्रय किया गया था (जिन्हें आगे ‘सप्लायर’ कहा जायेगा) उनके क्रय—विक्रय की घोषणा सम्बन्धी विभाग में प्रस्तुत विधिक विवरण—प्रपत्र वैट-07 एवं वैट-08 की प्रतियां भी पेश की गई परन्तु माल के ट्रांसपोर्टेशन के सम्बन्ध में यह जवाब दिया गया कि माल का परिवहन स्वयं या सप्लायर के वाहनों से होने से इनका कोई अलग लेखा संधारित नहीं है।

5. उक्तानुसार सर्वेक्षण के पश्चात् व्यवसायी को जारी नोटिस एवं व्यवसायी के जवाब के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा पुनः यह भार (burden of proof) व्यवसायी पर होना अवधारित किया कि परिवहन सम्बन्धी साक्ष्य की सूचना प्रस्तुत नहीं होने से उस माल की खरीद की जाना संदिग्ध है अतः उसकी यथार्थता को प्रमाणित किया जावे। इसके अलावा जांच अधिकारी एवं तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सप्लायर फर्मों के कर निर्धारण अधिकारियों से सूचनायें एकत्रित कर यह आक्षेप किया गया कि वर्ष 2011-12 से लगाकर वर्ष 2015-16 के बीच विभिन्न व्यवसायियों यथा कुल 24 सप्लायर फर्मों से माल की खरीद की गई है, वे फर्म या तो बंद हो गयी हैं या उनकी जांच पर अस्तित्व में नहीं पायी गयी अथवा उनके पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त हो गये हैं। अतः उन सभी क्रय संव्यवहारों की सत्यता को अस्वीकार करते हुए अर्थात् सप्लायर द्वारा जारी बिलों को अस्तित्वहीन (non-existance) मानते हुए उक्त व्यवहारी द्वारा खरीद पर क्लेम की गई सभी वर्षों की आई.टी.सी. को रिवर्स कर दिया गया एवं वेट अधिनियम की धारा 25 एवं 26 (दोनों ही धाराओं के अधीन) कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये गये। प्रतिकरापवंचन वृत के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों में यह निर्णय भी किया गया कि व्यवसायी द्वारा संव्यवहारों की genuineness प्रमाणित नहीं कराने से आई.टी.सी. का क्लेम वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधान अनुसार प्राप्त योग्य नहीं है एवं ऐसा क्लेम किया जाना करापवंचन का कृत्य है, अतः इस अपराध के लिये वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत क्लेम राशि की चार गुणा राशि की शास्ति भी आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई।

3

87

लगातार.....4

1—10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश के जरिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को तथ्यों के विपरीत एवं अविधिक मानते हुए समस्त कर निर्धारण आदेशों को अपास्त कर दिया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जांच करने के निर्देश देते हुए प्रकरणों को प्रतिप्रेषित भी किया गया। सभी वर्षों के लिये अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित एक संयुक्त आदेश दिनांक 23.6.2017 के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी एवं कर निर्धारण अधिकारी की ओर से अपीलें प्रस्तुत की गई, जिसमें दोनों ही पक्षों द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने को चुनौती दी गयी है तथा राजस्व की ओर से कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किये जाने के निर्णय को भी अविधिक बताया गया है।

7. उक्त तथ्यों के आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

8. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अपीलों में सर्वप्रथम राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 82 के तहत पारित आदेश दिनांक 23.6.2017 विधि के विरुद्ध है। यह तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अपीलाधीन कर निर्धारण आदेशों में व्यवहारी की कलेम की गई आई.टी.सी. के समयोजन को निरस्त करते हुए जिस राशि की मांग सृजित की थी उसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि व्यवहारी के सप्लायर या तो अस्तित्व में नहीं थे या उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिये गये थे एवं व्यवहारी द्वारा माल के परिवहन सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये थे ऐसी स्थिति में व्यवहारी के समस्त क्रय बिलों की genuineness प्रमाणित करने में असफल रहने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के तहत आई.टी.सी. कलेम को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी फलतः अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं होने से उन्हें अपास्त किया जावे एवं पुनः जांच करने के आदेश को भी निरस्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समस्त आदेशों को पुनर्स्थापित किया जावे।

9. राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलें प्रस्तुत करते समय जो कथन एवं तर्क अपील आधारों में वर्णित किये गये थे उन्हें दोहराते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल के सत्य होने के पर्याप्त सबूत पेश नहीं किये गये थे अतः इन संव्यवहारों को केवलमात्र पेपर संव्यवहार ही माने जा सकते हैं एवं यह भी कथन किया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय

लगातार.....5

31

2

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713 / 2017 / अलवर.

संव्यवहारों को भी प्रमाणित नहीं किया गया है अतः बिना किसी आधार के प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का कोई अभिप्राय नहीं है। यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि किसी संव्यवहार की सत्यता प्रमाणित करने का भार व्यवहारी पर होता है एवं आई.टी.सी. का क्लेम बिना प्रमाणीकरण के प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) में यह विशेष प्रावधान किये हुए हैं। इस तरह अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय तक भी रेकॉर्ड उपलब्ध होने के उपरान्त भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है वह अनुचित है क्योंकि पूरा निर्णय रेकॉर्ड के आधार पर ही किया जाना था जो अपील सुनवाई तक उपलब्ध था जिसका परीक्षण अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया था। इसी तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में भी विधिक भूल की गयी है क्योंकि अविधिक रूप से आई.टी.सी. क्लेम प्राप्त करने पर शास्ति के प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) में विशिष्ट तौर पर किये हुए हैं, फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त कर आई.टी.सी. को रिवर्स करने के आदेश मय शास्ति एवं ब्याज के पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया।

10. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बहस को प्रारम्भ करते हुए यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई कि उक्त व्यवहारी जो प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, उनके विरुद्ध जो आदेश पारित किया गया है वह तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध है क्योंकि उक्त व्यवहारी द्वारा अपने व्यापार क्रम में किये गये समस्त क्रय-विक्रयों को विधिक समयावधि में विभाग के समक्ष घोषित किया हुआ था एवं उनके आधार पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी, विशेष वृत भिवाड़ी, जिला अलवर द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके थे, जिनमें उनके समस्त क्रय-विक्रयों को स्वीकार करते हुए करारोपण किया गया एवं उनके द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. का समायोजन भी दिया गया ऐसी स्थिति में उन कर निर्धारण आदेशों को बिना किसी त्रुटि अथवा बिना किसी साक्ष्यों के प्राप्त किये उन्हीं वर्षों के पुनः प्रतिकरापवंचन वृत द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 एवं 26 में आदेश पारित किये गये हैं, वे अविधिक हैं तथा बिना किसी क्षेत्राधिकार के ही आदेश पारित किये गये हैं।

11. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के तहत क्षेत्राधिकार अधिग्रहण करने के बिन्दु पर उनके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति

1—10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

प्रस्तुत की गयी थी परन्तु उनके द्वारा इस बिन्दु पर कोई निस्तारण किये बिना केवल गुणावगुण पर निर्णय दिया गया है जबकि विधिक रूप से इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना अनिवार्य है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वेट अधिनियम, 2003 की धारा 23 एवं 24 में कर निर्धारण करते समय किसी व्यक्षायी के खरीद बिक्री का सत्यापन वर्ष 2011–12 से ऑनलाईन किये जाने की सुविधा विभाग के पास उपलब्ध होने से किसी भी कर निर्धारण आदेश में बिक्री के साथ खरीद के संव्यवहारों को विभागीय पोर्टल की ओनलाईन सिस्टम से मैच/मिसमैच की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। इसी कारण उनके सभी कर निर्धारण आदेशों में उनके नियमित कर निर्धारण अधिकारी, विशेष वृत्, भिवाड़ी, अलवर द्वारा क्रय संव्यवहारों का पूर्ण मिलान करते हुए आदेश पारित किये गये थे एवं जिस आईटीसी की राशि का मिलान नहीं हुआ था उतनी राशि का समायोजन भी नहीं दिया गया था। इस तरह उनके नियमित कर निर्धारण आदेशों में कोई त्रुटि नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रतिकरापवंचन वृत् द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वे विधि के विरुद्ध हैं क्योंकि प्रतिकरापवंचन वृत् के अधिकारी द्वारा ऐसा एक भी साक्ष्य सर्वेक्षण में नहीं पाया गया जो उनके द्वारा कर चोरी से की गई खरीद या बिक्री को प्रमाणित कर सके अर्थात् व्यवहारी द्वारा एक भी संव्यवहार बिना बिल के या कर चोरी के उद्देश्य से कच्चे बिल से क्रय-विक्रय नहीं किया था ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत कर निर्धारण किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। कथन किया कि प्रतिकरापवंचन वृत् के द्वारा पारित आदेशों में जो आधार लिया गया है वे समस्त आधार तथ्यों के विपरीत है। इस बिन्दु पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सुनवाई के दौरान स्वयं व्यक्षायी फर्म के लिये विभाग द्वारा पारित सभी कर निर्धारण आदेश एवं उनके द्वारा विभाग में प्रस्तुत समस्त विवरण-पत्रों के साथ खरीद, बिक्री को विभाग में घोषित करने सम्बन्धी प्रपत्र वैट-07 एवं वैट-08 प्रस्तुत किये गये थे एवं इनका सत्यापन कराने हेतु स्वयं व्यवहारी द्वारा उनके सप्लायर्स के कर निर्धारण आदेश भी जो उनके पास उपलब्ध थे, उन्हें प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं इसके अलावा सप्लायर्स के “विक्रय” प्रपत्र वैट-08 भी प्रस्तुत किये गये थे जो कि इस अपीलार्थी की खरीद हेतु वैट-07 में दी गई “खरीद” विवरण सूचना से सत्यापित होते हैं अर्थात् सप्लायर्स द्वारा विभाग में घोषित विक्रय और व्यवहारी द्वारा विभाग से घोषित क्रय आपस में मैच होने पर आईटीसी का क्लेम दिया जाना स्वतः

लगातार.....7

31

✓

अनिवार्य हो जाता है एवं यह कथन किया कि इसी कारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. का क्लेम ऑनलाईन सत्यापन के आधार पर दिया गया था परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना बल्कि अन्यथा अविधिक आधार पर स्वैच्छापूर्ण तरीके से उनके क्रय संव्यवहारों पर चुकाये गये कर की आई.टी.सी. को रिवर्स कर दिया गया। उन्होंने कथन किया कि उक्त आदेशों में क्रय संव्यवहारों को इस आधार पर *ingenuine* माना है कि व्यवहारी ने माल के गमनागमन के साक्ष्य पेश नहीं किये हैं जबकि उनके द्वारा यह प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया हुआ था कि समस्त माल निजी वाहनों से प्राप्त होने से किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी एवं विधिसम्मत बिलों के साथ क्रय राशियों का भुगतान जरिये बैंक के होने से यह प्रमाणित है कि उनके द्वारा खरीद किया गया माल *genuine* बिलों के जरिये किया हुआ था एवं प्रतिकरापवंचन वृत्त ने एक भी खरीद बिल को फर्जी या बोगस नहीं बताया है न ही ऐसी कोई जांच की है। इस तरह केवलमात्र अपनी निजी सोच के आधार पर ही एवं बिना साक्ष्यों के ही वैध बिलों से खरीद माल पर प्राप्त की गई आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया है एवं उस राशि की वसूली के अविधिक आदेश दिये गये हैं। इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल ही में पारित मैसर्स आर.एस. इन्फास्ट्रक्चर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुए बल दिया कि इस निर्णय में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि क्रेता द्वारा माल के बिलों के विरुद्ध भुगतान प्रमाणित होने के बाद क्रेता की खरीद को प्रमाणित करने की *burden of proof* नहीं है एवं ऐसी आई.टी.सी. को निरस्त नहीं किया जा सकता।

13. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया कि यदि उनके द्वारा माल खरीद के समस्त संव्यवहार निरस्त किये जाते हैं तब इस व्यवहारी द्वारा जिस माल का विक्रय किया है इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है क्योंकि यदि कर निर्धारण अधिकारी की अवधारणा को मान लिया जाये तब इस स्थिति में उनके द्वारा किसी माल का विक्रय होने का कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होगा जब किसी माल की खरीद ही नहीं है तथा यह भी उल्लेख किया कि जांच अधिकारी ने ऐसा एक भी साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है कि इस व्यवहारी ने बिना बिल किसी माल का अन्य व्यक्ति से क्रय किया है। इस तरह उनके द्वारा खरीद किये गये समस्त माल को विधिक प्रावधानों के अनुसार लेखा-पुस्तकों में दर्शाते हुए एवं उसकी पूरी घोषणा विवरण-पत्रों में करते हुए आई.टी.सी. का क्लेम लिया गया है जिसका सत्यापन

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

सप्लायर व्यवहारियों के विवरण—पत्रों एवं कर निर्धारण आदेशों से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में और कोई अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी परन्तु यदि कर निर्धारण अधिकारी इन विभागीय डाटा को भी स्वीकार नहीं करते हैं तब उनका स्वयं का यह दायित्व था कि वे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करते कि व्यवहारी द्वारा बिना बिल के अन्य लोगों से कोई माल खरीदा गया है एवं यह भी प्रमाणित करते कि जिन सप्लायर्स ने व्यवहारी को माल विक्रय करना बताया है उन्होंने कोई विक्रय नहीं किया है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराया गया कर भी रिफण्ड योग्य होता है। इसी बिन्दु को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि उक्त कर निर्धारण अधिकारी ने सप्लायर फर्मों की कोई जांच नहीं की है बल्कि केवल यह अंकित किया है कि उनके नियमित कर निर्धारण अधिकारियों ने उनके पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त कर दिये हैं अथवा वे अस्तित्व में नहीं हैं जो कि एक असत्य उल्लेख है क्योंकि उन सप्लायर्स को भी केवल धारा 92 में नोटिस जारी किये गये थे एवं उनकी कोई जांच नहीं की थी जबकि उन्होंने जवाब भी प्रस्तुत कर दिये थे एवं व्यवहारी की ओर से भी सभी सप्लायर्स के कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत किये गये थे। तर्क दिया कि जिनके पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त कर दिये गये थे, उन व्यवहारियों के पंजीयन को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया था एवं उसके पश्चात् उनके कर निर्धारण आदेश भी पारित किये हुए थे तथा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रूपये 15 करोड़ से अधिक कर जमा कराने का भी प्रमाण दिया था तब उन्हें अस्तित्वहीन और अपंजीकृत बताया जाना सर्वथा गलत होने के साथ ही कर निर्धारण अधिकारी की दुर्भावनापूर्ण मंशा प्रदर्शित करते हैं।

14. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सभी सप्लायर फर्मों द्वारा किये गये विक्रय पर देय कर चुकाया जा चुका है, इसका प्रमाण भी कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं इसका प्रमाण यह है कि अब अपील आदेश के बाद स्वयं इसी कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह, सहायक आयुक्त, जिन्होंने ये विवादित कर निर्धारण आदेश पारित किये थे, उन्हीं के द्वारा वर्ष 2015–16 के मामले में दिनांक 27.3.2018 को वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत अर्थात् लेखा—पुस्तकों की जांच करने के पश्चात् एवं ऑनलाईन क्रय—विक्रयों का सत्यापन करने के पश्चात् सम्पूर्ण आई.टी.सी. क्लेम को सत्य स्वीकार कर इसका लाभ प्रदान कर दिया गया है जबकि कर बोर्ड के समक्ष विवादित अपीलाधीन उसी आदेश वर्ष 2015–16 में उसी आई.टी.सी. को बिना कारण अधिनियम की धारा 25 के आदेश से रिवर्स कर मांग कायम की हुई है एवं उसी की सुनवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अब

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

उनके स्वयं द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2015-16 दिनांक 23.2.2017 को स्वयं द्वारा ही दिनांक 27.03.2018 को निरस्त किया जा चुका है अतः अब ये अपीलें निरर्थक हो गई हैं। यह कथन किया कि इसी समान विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी, सहायक आयुक्त, श्री पूरणसिंह राठौड़ द्वारा स्वयं की विभागीय आई.टी.सी. से वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के परचेज मैच/मिसमैच लेजर लेवल-१ भी जनरेट किये गये हैं। मैच मिस मैच की प्रतिथां प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि इन सभी वर्षों में उक्त व्यवहारी द्वारा क्लैम की गई आई.टी.सी. जो उनके वार्षिक विवरण-पत्र 10ए में दर्शाई थी, उसे ओनलाईन सिस्टम में पूरी तरह allowable होने की रिपोर्ट जनरेट है जिसमें वर्ष 2011-12 में रूपये 16.41 करोड़, वर्ष 2012-13 में रूपये 16.73 करोड़, वर्ष 2013-14 में रूपये 32.19 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 37.91 करोड़ की आई.टी.सी. मैच होना रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है एवं इसी ओनलाईन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2015-16 में स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 35.44 करोड़ की आई.टी.सी. का समायोजन देते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.3.2018 को पारित कर दिया है जो कि अपीलीय आदेश दिनांक 23.6.2017 के पश्चात् के आदेश है। इससे यह पुष्टि स्वयं उसी कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह द्वारा कर दी गयी है कि उनके द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किये गये थे वे अविधिक आदेश थे एवं उन आदेशों के जरिये जो आई.टी.सी. रिवर्स की गयी थी वह अविधिक रूप से रिवर्स की गयी थी क्योंकि स्वयं द्वारा ही रूपये 35.44 करोड़ की आई.टी.सी. जो दिनांक 23.2.2017 के आदेश में निरस्त की थी उसे अपास्त करते हुए जांच के पश्चात् आदेश पारित किये गये हैं तब और किसी तर्क या कथन की आवश्यकता नहीं रहती है बल्कि स्वयं विभाग को इन सभी अपीलों को विद्हाँ करनी चाहिये थी क्योंकि अब किसी भी तरह का विवाद स्वयं प्रतिकरापवंचन वृत के कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह द्वारा समाप्त किया जा चुका है एवं उनके आदेशों में लगाये आरोप कि भौतिक गमनागमन नहीं होना या Genuineness नहीं होना या अस्तित्वहीन व्यवसायी होने या पंजीयन निरस्त हुए व्यवसायियों के द्वारा विक्रय किये जाने के आरोप स्वयं ने impliedly वापस ले लिये हैं, फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के पश्चात् जिन कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया था उस निर्णय की स्वतः पुष्टि हो गई है एवं अब प्रतिप्रेषित निर्देशों को समाप्त किये जाने के आदेश की औपचारिकता मात्र रही है क्योंकि अब प्रतिप्रेषण निर्देशों की परिस्थितियां अवशेष नहीं रही हैं बल्कि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय के पश्चात् पुनः तथ्यात्मक एवं विधिक जांच कर आदेश पारित किये जा चुके हैं।

लगातार.....10

31

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

15. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस को समाप्त करते हुए अन्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स आर.एस.इन्फ्राट्रांसमिशन लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (2018) 29 वैट रिपोर्टर निर्णय 11.04.2018 का हवाला देते हुए कथन किया कि इसमें यह स्पष्ट विधिक निर्णय दिया जा चुका है कि माल की खरीद के पूर्ण भुगतान के पश्चात क्रेता को आई.टी.सी. का लाभ प्राप्त होगा एवं विक्रेता के डिफॉल्ट का क्रेता पर प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय अराईज इंडिया लिमिटेड बनाम आयुक्त ट्रेड टैक्स दिल्ली का अनुकरण किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय वैट रिपोर्टर वॉल्यूम-29 पेज 12 कमिशनर ऑफ ट्रेड एण्ड टैक्स, दिल्ली बनाम एराईज इंडिया लिमिटेड निर्णय दिनांक 10.01.2018 में की जा चुकी है। कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय द्वारा माननीय दिल्ली होईकोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्त कि क्रयकर्ता व्यवहारी द्वारा सद्भावनापूर्ण खरीद किये गये माल के सम्बन्ध में क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, की पुष्टि की गई है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसी अनुकरण में यह निर्णय दिया जा चुका है अतः उक्त न्यायिक निर्णयों की पालना में भी समर्त आदेश अपास्तनीय हैं। उक्त माननीय न्यायालयों के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर यह कथन किया कि उक्त व्यवहारी द्वारा समर्त माल की खरीद वैध बिलों से की गयी है, जिनका सत्यापन स्वयं वाणिज्यिक कर विभाग के ऑनलाईन साईट पर एवं विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों से प्रमाणित होने से तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स आर.एस.इन्फ्राट्रांसमिशन में दिये गये उक्त निर्णय के अनुसार उनके द्वारा समर्त खरीद माल का भुगतान बैंक के जरिये होने से एवं इसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी तरह से आक्षेपित नहीं किये जाने से उनके खरीद संव्यवहारों को निरस्त किया जाना अनुचित, अविधिक एवं अन्यायिक है, फलतः प्रतिकरापवचन वृत के अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों को निरस्त किये जाने के अपीलीय आदेश की पुष्टि करने के साथ प्रतिप्रेषित निर्देशों को अपास्त करने का अनुरोध किया।

16. यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण चूंकि अब प्रतिकरापवचन वृत के कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह द्वारा पारित कर दिया गया है जिसमें उनकी आई.टी.सी. को स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुके हैं, परन्तु वर्ष 2014-15 की अग्रेषित आई.टी.सी. प्रदान नहीं की गयी है, जो नियमित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार स्वतः प्रदान योग्य होती है, फलतः इस सम्बन्ध में भी निर्देश जारी किये जावे।

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713 /2017 /अलवर.

17. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवांद करते हुए इस बिन्दु पर विशेष तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्णित निर्णयों में सद्भावी खरीद संव्यवहारों पर आई.टी.सी. क्लेम स्वीकृत करने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के Arise India के उक्त वर्णित प्रकरण में यह भी टिप्पणी की है कि कपटपूर्वक (Fraudulent) संव्यवहारों में जांचकर आई.टी.सी. क्लेम पर निर्णय किया जा सकता है, फलतः Fraudulent संव्यवहारों की जांच करने का आदेश दिया जावे।

18. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इसके अलावा बहस के दौरान एवं अपील के समय प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

19. उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण से पूर्व पुनः संक्षेप में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं को वर्णित करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं कि उक्त अपीलार्थी पंजीकृत व्यवहारी कम्पनी जिनके द्वारा कई हजार करोड़ के क्रय-विक्रय का कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग में नियमित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष क्रय-विक्रय के समस्त संव्यवहारों को त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण-पत्रों तथा प्रत्येक त्रैमास में क्रय संव्यवहारों की घोषणा के लिये विहित प्रपत्र वैट-07 प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी, विशेष वृत्, भिवाड़ी अलवर द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् कर निर्धारण आदेश पारित किये हुए थे जिसमें व्यवहारी के विक्रय एवं क्रय संव्यवहारों की सत्यता प्रमाणित करने के बाद आदेश पारित किये गये थे। उसके पश्चात् दिनांक 4.2.2016 को प्रतिकरापवंचन वृत् राजस्थान, जयपुर द्वारा सर्वेक्षण किया जाने पर व्यवसाय स्थल पर कोई अन्यथा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे परन्तु उनके द्वारा नोटिस के जरिये उनके क्रय-विक्रयों की सत्यता साबित किये जाने के लिये निर्देश दिये गये थे तब व्यवहारी द्वारा उनके द्वारा विभाग में प्रस्तुत विवरण-पत्रों एवं माल के भुगतान सम्बन्धी पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिये गये थे, परन्तु जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि उनके स्वयं के स्तर पर सप्लायर कम्पनी के कर निर्धारण अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने पर सभी वर्षों के मिलाकर कुल 24 सप्लायर जिनसे माल की खरीद की गयी थी वे या तो अस्तित्व में नहीं पाये गये या उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त किये हुए थे तथा माल के गमनागमन

लगातार.....12

31

2

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने को आधार बनाते हुए समर्त क्रय संव्यवहारों को अस्वीकार करते हुए यह अवधारित किया है कि घोषित सप्लायर से कोई माल प्राप्त नहीं किया है। फलतः बिलों में दर्शाई गई आई.टी.सी. के क्लेम को निरस्त कर दिया गया जबकि उन्हीं सभी संव्यवहारों को व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने विभाग की ओनलाईन सत्यापन व्यवस्था के जरिये प्रमाणीकरण होने पर क्रय संव्यवहारों को Genuine मानते हुए आदेश पारित किये हुए थे एवं आई.टी.सी. के क्लेम का समायोजन दिया गया था।

20. अपीलाधीन कर निर्धारण आदेशों में प्रतिकरापवंचन वृत्त के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के तहत जो आदेश पारित किये गये हैं, वे प्रथम दृष्ट्या प्राथमिक आपत्ति अनुसार उचित नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा एक भी साक्ष्य स्वयं की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जो व्यवहारी की बिना बिल के क्रय या बिना बिल के विक्रय को प्रमाणित या करचोरी से क्रय—विक्रय को प्रमाणित कर सके, बल्कि उनके द्वारा एक अवधारणा के तहत कि गमनागमन के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः समर्त क्रय को कपटपूर्ण मानते हुए आई.टी.सी. को निरस्त कर दिया गया।

21. कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से एवं व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत नियमित कर निर्धारण आदेशों की प्रतियों से स्पष्ट है कि Anti-evasion शाखा के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में किसी त्रुटि को इंगित नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी की ओर से किये गये क्रय एवं विक्रय को विवरण—पत्रों एवं उनके माल के भुगतान से प्रमाणित किया हुआ था ऐसी स्थिति में सप्लायर के विक्रय को स्वीकार करने के विभागीय आदेश अस्तित्व में होने के बावजूद भी उन्हीं विक्रयों से माल प्राप्त करने वाले खरीदार के क्रय को कपटपूर्वक बताया है जो विरोधाभासी एवं अविधिक निर्णय है। यह टिप्पणी योग्य है कि किसी व्यवसायी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. को धारा 18(3)(v) के तहत क्लेम देय नहीं होना निर्णीत करने से पूर्व उस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य विभाग द्वारा एकत्रित किया जाना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में गलत एवं भ्रामक विवरण के साथ एवं बिना विपरीत साक्ष्यों के आई.टी.सी. के क्लेम को निरस्त किया है जो अनुचित होने से इस बिन्दु पर अपीलार्थी की आपत्ति स्वीकार योग्य है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्यों के अधिनियम की धारा 25 में क्षेत्राधिकार ग्रहण किया है। इसी तरह धारा 26 का अंकन भी अविधिक है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 26

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

में पूर्व के आदेश को रिओपन ही नहीं किया है क्योंकि धारा 26 में केवल किसी कर के छूट जाने या कम ईर्नओवर पर कर निर्धारण होने पर पूर्ण प्रकरण को रिओपन किया जाता है।

22. हमारे समक्ष अपीलीय आदेश के विरुद्ध व्यवहारी एवं राजस्व दोनों की ओर से चुनौती प्रतिप्रेषित निर्देशों के विरुद्ध दी गयी है जिसमें व्यवहारी ने यह उचित कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित पूर्ण सूचना जिसमें उनके क्रय-विक्रय सम्बन्धी बिल एवं विभागीय सिस्टम पर सत्यापित आवश्यक प्रपत्र वैट-07, वैट-08, स्वयं के कर निर्धारण आदेश एवं यहां तक कि सप्लायर के समस्त कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत कर दिये गये थे ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं परीक्षण करने के पश्चात् समस्त विवादित कर निर्धारण आदेशों को अपास्त कर दिया है। इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या अपीलीय आदेश जिसमें समस्त कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया गया है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं? हमारे द्वारा अपीलीय आदेश एवं इस सन्दर्भ में व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर पाया कि व्यवहारी की ओर से विधिक प्रावधानों के अनुसार समस्त क्रय-विक्रय संव्यवहारों के बिल एवं उसके भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं उनके सप्लायर के कर निर्धारण आदेश भी सुनवाई के समय इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में समस्त क्रय विक्रय सत्यापित होने से अपीलीय अधिकारी का आदेश किसी भी बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण नहीं है। इसी बिन्दु पर उक्त अपील आदेश के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि खरीद राशि के भुगतान के पश्चात् क्रेता का कोई दायित्व नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गयी आई.टी.सी. सम्बन्धी सभी 24 सप्लायर फर्मों के पूर्ण विवेचन करने के पश्चात् एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों के प्रस्तुत दृष्टान्तों पर विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि जब विक्रेता फर्मों के उन्हीं अवधि के क्रय-विक्रय संव्यवहारों को उनके नियमित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांच के पश्चात् स्वीकार किया जा चुका है तब उन्हीं क्रय संव्यवहारों की उक्त व्यवहारी के दावाकृत आई.टी.सी. को अस्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा यह तथ्यात्मक निष्कर्ष भी दिया कि जिन विक्रेता फर्मों के पंजीयन निरस्त किये जाने का उल्लेख किया है उन फर्मों द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारियों के निर्णयों से पंजीयन बहाल करवाये जा चुके हैं तथा उनके कर निर्धारण पुनः किये जाने प्रस्तावित हैं। ऐसी स्थिति में अपील निर्णय के पृष्ठ संख्या 17 में

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

पाँचों अपीलें स्वीकार करते हुए विवादित आदेशों को उचित एवं विधिसम्मत नहीं होना घोषित करते हुए अपास्त किये गये हैं जिसमें कोई त्रुटि अब हमारे समक्ष सुनवाई तक अवशेष नहीं रही है क्योंकि अपीलीय आदेश दिनांक 23.6.2017 के बाद एवं हमारे समक्ष सुनवाई होने के मध्य की अवधि के दौरान समस्त सप्लायर्स के कर निर्धारण आदेश उनके नियमित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में उन व्यवहारियों से खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. का क्लेम नहीं दिये जाने का प्रश्न समाप्त हो चुका है एवं इस बिन्दु पर और किसी जांच की आवश्यकता अवशेष नहीं रहती है तथा वर्ष 2015-16 के आदेश में स्वयं उसी कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 27.3.2018 को आदेश पारित कर अभियोग समाप्त कर दिया है, अतः अपीलीय आदेश में आगे दिये हुए यह निर्देश कि वे पुनः जांच करें, सारहीन हो गये हैं क्योंकि अब हमारे सुनवाई तक विक्रेताओं के समस्त कर निर्धारण आदेश पारित हो चुके हैं जिसे विभाग द्वारा सत्यापित कर लिया गया है कि कोई भी सप्लायर अस्तित्वहीन नहीं रहा है एवं न ही कोई पंजीयन निरस्त रहा है अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

23. अपीलीय आदेश के सम्बन्ध में और अधिक विवेचना की आवश्यकता भी नहीं रही है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने पुनः जांच करने के निर्देश निर्णय दिनांक 23.6.2017 में दिये थे परन्तु उक्त विवादित आदेश पारित करने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने ही पूर्व में पारित आदेश को अनुचित मानते हुए वर्ष 2015-16 का आदेश जो पूर्व में दिनांक 23.2.2017 को पारित किया गया था जिसमें रूपये 35.44 करोड़ की आई.टी.सी. को रिवर्स किया था उसी वर्ष का पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.3.2018 को धारा 24 में पारित कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाईन सत्यापन से रूपये 35.44 करोड़ की पूर्व में अस्वीकृत आई.टी.सी. को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस तरह उनके द्वारा बनाये गये सम्पूर्ण अभियोग को स्वयं ने ही गलत एवं अनुचित मानते हुए व्यवहारी के पक्ष में अधिनियम की धारा 24 के तहत आदेश पारित कर दिया है। अतः इस प्रमाणित साक्ष्य के पश्चात् और किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं होने से अपीलीय आदेश द्वारा समस्त कर निर्धारण आदेशों को अपास्त करने के निर्णय की पुष्टि हो गई है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.6.2017 के निर्णय में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही नौ महीने बाद दिनांक 27.3.2018 को उसी कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत आदेश पारित कर दिया है उसमें सम्पूर्ण आई.टी.सी. को ऑनलाईन सत्यापन के आधार पर स्वीकृत

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

कर दिया गया है एवं शास्ति का भी आरोपण नहीं किया है, फलतः स्वयं कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह, सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्-तृतीय, जयपुर के पूर्व के आदेश निष्प्रभावी हो गये हैं एवं इन्हीं समान तरह के आधारों पर पारित वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक में भी श्री पूरणसिंह सहायक आयुक्त की आई.डी. से जनरेट की गई समान तरह की सत्यापन रिपोर्ट में भी पूर्ण आई.टी.सी. सत्यापित होने से अब कर बोर्ड के समक्ष और कोई विवाद अवशेष नहीं रहता है। फलतः अपीलीय निर्णय में समस्त आदेशों को अपास्त करने की पुष्टि स्वतः हो गयी है। क्योंकि उसी कर निर्धारण अधिकारी श्री पूरणसिंह द्वारा पुनः उन सप्लायर्स के विक्रयों को सत्यापित मानते हुए (जिन्हें पूर्व में अस्तित्वहीन एवं पंजीयन निरस्त माना गया था) उनके पूर्व निर्णयों को त्रुटिपूर्ण करार देते हुए व्यवहारी की जांच के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के तहत (जिसमें पूर्ण जांच के पश्चात् ही कर निर्धारण आदेश पारित किये जाते हैं) निर्णय दिया गया कि ऑनलाईन सत्यापन पर आई.टी.सी. क्लेम स्वीकार योग्य है एवं शास्ति के आरोपण से मुक्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह सम्पूर्ण प्रकरण अब सारहीन हो चुका है।

24. उक्त प्रकरण के विधिक एवं न्यायिक पहलू पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत R.S. infratransmission के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.04.2018 में क्रेता द्वारा खरीदे गए माल पर आईटीसी क्लेम को स्वीकृत करने की विधिक अनिवार्यता माना गया है जिसका सुसगंत भाग निम्न प्रकार है :—

"16. The contention of R.B. Mathur is that Rule 18 will take care of the situation. However, while considering the matter, we have to look into the matter whether the benefit envisaged under the Raj. VAT Act of deposit of the tax payable by the selling dealer in the manner as notified by the Commissioner. We are in complete agreement that it will be impossible for the petitioner to prove that the selling dealer has paid tax or not as while making the payment, the invoice including tax paid or not he has to prove the same and the petitioner has already put a summary on record which clearly establish the amount which has been paid to the selling dealer including the purchase amount as well as tax amount. In that view of the matter, we are of the opinion that Rule 18 if it is accepted, then the respondents will take undue advantage and cause harassment. Thus, we are of the opinion that instead of holding provisions section 18 to hold to be ultra virus, we read down the provisions of Rule 18.

17. The purchasing dealer has to only prove that while making the payment, he takes the purchased amount. To that extent, we follow the Delhi High Court judgment and not accept the view of the Bombay High Court."

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1567, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

इस तरह क्रेता द्वारा बिलों के जरिए खरीद माल का विधिवत भुगतान होने के पश्चात उसका कोई दायित्व नहीं मानते हुए समस्त खरीद पर कलेम देना बाध्यकारी होने का निर्णय किया गया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐसर्स एराइज इंडिया में दिए गए निर्णय दिनांक 10.01.2018 से सहमति देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अराइज इंडिया के निर्णय की पुष्टि कर दी गई है।

Arise India Ltd. के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित निर्णय दिनांक 10.01.2018 के निर्णय का पैरा 54 एवं 55 निम्न प्रकार है :—

"54. The result of such reading down would be that the Department is precluded from invoking section 9(2) (g) of the DVAT to deny ITC to purchasing dealer who has bona fide entered into a purchase transaction with a registered selling dealer who has issued a tax invoice reflecting the TIN number. In the event that the selling dealer has failed to deposit the tax collected by him from the purchasing dealer, the remedy for the Department would be to proceed against the defaulting selling dealer to recover such tax and not deny the purchasing dealer the ITC. Where, however, the Department is able to come across material to show that the purchasing dealer and the selling dealer acted in collusion then the Department can proceed u/s 40A of the DVAT Act.

55. Resultantly, the default assessment orders of tax, interest and penalty issued u/s 32 and 33 of the DVAT Act, and the orders of the OHA and Appellate Tribunal insofar as they create and affirm demands created against the petitioner purchasing dealers by invoking section 9(2)(g) of the DVAT Act for the default of the selling dealer, and which have been challenged in each of the petitions, are hereby set aside."

उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त व्यवहारी के विवाद सम्बन्धी तथ्यों के समान तथ्यों पर यह विधिक निर्णय देने से कि क्रेता द्वारा माल की खरीद (बिना किसी Collusion के होने पर) पर आईटीसी कलेम की पात्रता होगी। इस प्रकरण में भी उक्त अपीलार्थी व्यवहारी ने सद्भावी खरीद होने एवं भुगतान का भी कोई विवाद नहीं होने या collusion का भी कोई आक्षेप नहीं होने से, इस निर्णय के आलोक में भी आईटीसी कलेम रिवर्स योग्य नहीं है।

31

82

लगातार.....17

25. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह अनुरोध उचित प्रतीत होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स आर.एस. इन्फ्राट्रांसमिशन एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित निर्णय अराईज इण्डिया में Fraudulent संव्यवहारों पर आई.टी.सी. अस्वीकृत करने पर रोक नहीं लगाई है बल्कि इस पर कार्यवाही के लिये छूट दी गयी है, पूर्णतया उचित कथन है। हमारे द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार किया गया। इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह टिप्पणी करना उचित है कि कपटपूर्ण एवं Fraudulent संव्यवहारों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऐसे साक्ष्यों को एकत्रित करना आवश्यक है कि कोई क्रय-विक्रय संव्यवहार किस तरह कपटपूर्ण रूप से किये हुए हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा मौखिक बहस के दौरान जो उदाहरण पेश किये हैं उनसे हम सहमति रखते हैं कि किसी व्यवहारी के संव्यवहार की जांच में यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता के जो तथाकथित बिल क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं एवं उन विक्रेताओं ने उन बिलों को विभाग के समक्ष न तो घोषित किया था न ही उसका कोई भुगतान प्राप्त करने का प्रमाण पेश हो अथवा कोई विक्रेता ऐसे माल का बिल जारी करता हो जिसकी उसके द्वारा कोई खरीद की ही नहीं गई हो या स्वयं विक्रेता यह प्रमाणित कर दे कि उनके द्वारा कोई बिल जारी नहीं किया गया है तब उन साक्ष्यों के आधार पर क्रेता को सुनवाई का अवसर देकर किसी संव्यवहार को Fraudulent घोषित किया जा सकता है। इसी बिन्दु पर दिये गये अन्य परिस्थितिजन्य उदाहरण कि यदि किसी व्यवसायी द्वारा किसी ऐसे माल के विक्रय बिल जारी किये जाते हैं, जिस माल की खरीद होने के स्थान पर किसी और किस्म के माल की खरीद की जाती है, जैसे सीमेंट की बिक्री के बिल जारी किये जाते हैं परन्तु उस फर्म की जांच पर उसके द्वारा सीमेंट की कोई खरीद ही नहीं पाई जाती है एवं उसके बजाय अन्य आईटम जैसे आयरन एवं स्टील की खरीद पायी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे मामले Fraudulent संव्यवहार एवं Paper transaction में सम्मिलित किये जा सकते हैं, परन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में क्रेता व्यवहारी की मिलीभगत (Collusion) प्रमाणित करना भी आवश्यक है एवं मिलीभगत प्रमाणित करने के बाद ही ऐसे मामलों में क्रेता के विरुद्ध अभियोजन को आगे बढ़ाया जा सकता है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के इसी निर्णय दिनांक 26.10.2017 को Follow करते हुए निर्णय दिनांक 11.04.2018 पारित किया गया है।

31

82

लगातार.....18

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर

26. उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों के परीक्षण पर यह पाया गया कि उक्त व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय-विक्रय रिकॉर्ड थे एवं उनका भुगतान भी बैंक के जरिये किया हुआ था एवं जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई उल्लेख नहीं किया है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिल फर्जी हैं या उसका कोई भुगतान ही नहीं हुआ है, जबकि क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सप्लायर के समस्त क्रय-विक्रयों को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये हुए थे ऐसी स्थिति में केवल स्वयं की धारणा मात्र से एवं स्वैच्छा से व्यवहारी के पूर्ण क्रय संव्यवहारों को कपटपूर्वक घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी प्रकरण में जांच अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा आभास हो कि कोई व्यवहारी कर द्योरी से माल खरीद कर Bill arrange कर रहा है ऐसी स्थिति में भी बिना किसी साक्ष्य के किसी भी व्यवहारी के विरुद्ध आदेश पारित नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं ऑन लाईन डाटा समस्त क्रय-विक्रयों की पुष्टि करते हैं एवं उक्त जांच अधिकारी ने ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने का कोई प्रयास भी नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि व्यवसायी द्वारा या उनके सप्लायर द्वारा किसी माल को बिना बिल के खरीद या विक्रय किया है। किसी अधिकारी द्वारा केवल नोटिस मात्र जारी करना एवं दिये गये जवाब को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया जाना अत्यधिक सुगम एवं सरल कार्य है परन्तु ऐसे आधारविहिन/अविधिक निर्णय न्यायिक दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं हो सकते।

27. इस प्रकरण में यह आश्चर्यजनक तथ्य भी सामने आया कि स्वयं उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक वर्ष बाद में पूर्व में प्रस्तुत उन्हीं दस्तावेजों एवं ऑनलाईन सत्यापन के आधार पर व्यवहारी के समस्त क्रय-विक्रयों को स्वीकार कर दिया है तब पूर्व में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आईटीसी का क्लेम क्यों रिवर्स किया गया था। हमारे समक्ष व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये ऑनलाईन सत्यापन रिपोर्ट जो स्वयं श्री पूरणसिंह, सहायक आयुक्त की आई.डी. से ही जनरेट की गयी है, उससे यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किये गये थे वह बिना किसी सत्यापन, साक्ष्य एवं प्रमाण के केवल मांग सृजित करने के उद्देश्य से ही पारित किये गये थे। इस बिन्दु पर यह टिप्पणी करना उचित होगा कि पांचों कर निर्धारण आदेशों में अर्थात् प्रत्येक वर्ष में 24 फर्मों को सप्लायर के रूप में अंकित किया गया है वह सत्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2015-16 के उनके द्वारा पारित आदेश में ही यह प्रमाणित है कि

31

लगातार.....19

1—10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

उस वर्ष में केवल 5 सप्लायर ही समिलित थे। इसी तरह व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में एवं अपने जषाब में भी बताया था कि प्रत्येक वर्ष में अलग—अलग सप्लायर से माल की खरीद की गयी है जबकि फर निर्धारण अधिकारी ने सभी 24 फर्मों को प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण आदेश में अंकित कर दिया है जो अनुचित ही नहीं बल्कि Misleading है। माननीय न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर दिये गये विभिन्न निर्णयों की भी अवहेलना है कि किसी भी व्यवहारी के करापवंचन के मामले में प्रत्येक संव्यवहार की जांच किया जाना आवश्यक होता है, जिसका इस प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया जाता है बल्कि एक भी विशिष्ट संव्यवहार का उदाहरण इन आदेशों में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह फर्जी है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी ऐसे प्रकरण में पुनः जांचकर आदेश पारित करने संबंधी दिये गये निर्देश भी उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स हिन्द व्यवसाय वस्त्र भण्डार बनाम कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी. लखनऊ 1969 (23) एस.टी.सी. 311 (इलाहाबाद) का उल्लेख उचित प्रतीत होता है जिसमें निम्न टिप्पणी की गयी है—

"The appellate authority exercises quasi-judicial functions, and there can be no dispute that the power to remand must be exercised by it, not according to whim or humour, but in accordance with sound judicial principles. And it is a power which must be used with circumspection. The appellate authority functions as an impartial authority adjudicating upon rights and liabilities between the dealer and the revenue. That adjudication must be effected through a procedure informed by the interests of justice. It is to do justice in accordance with law that the appellate authority exists. It departs from its function when it permits the influence of partisan considerations."

28. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष सुनवाई के समय तक अर्थात् अपीलीय आदेश के बाद विभाग द्वारा इन प्रकरणों में पारित नवीनतम आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन भी किया गया जो अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये थे जिनमें मुख्य रूप से उक्त समस्त अपीलाधीन कर निर्धारण आदेशों को पारित करने वाले अधिकारी द्वारा ही पूर्ण जांच एवं सत्यापन के पश्चात अधिनियम की धारा 24 के तहत नवीनतम पारित आदेश दिनांक 27.3.2018 महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वयं उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के विरुद्ध जिन आक्षेपों के आधार पर वर्ष 2011–12,

लगातार.....20

31

AS

1-10. अपील संख्या—1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में आई.टी.सी. क्लेम को रिवर्स किया था, उन्हें बाद में स्वयं की जांच द्वारा ही वर्ष 2015-16 के आदेश में पुनः स्वयं ने संतुष्ट होकर आई.टी.सी. का क्लेम वैट-7ए के अनुसार स्वीकार कर रूपये 35.44 करोड़ का समायोजन दे दिया गया है, जिसके आदेश का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

“.....व्यवहारी द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से की गई कर योग्य खरीद पर चुकाये गये कर की आईटीसी वैट-7ए के अनुसार समायोजित की जाती है।”

उक्त पारित आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति एवं व्याज आरोपित भी नहीं किया है जिससे इस पूरे प्रकरण के विवाद एवं अभियोग का समाधान स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर ही हो चुका है, अतः अन्य समस्त अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें सारहीन हो गई है। यह टिप्पणी किया जाना उचित होगा कि इन प्रकरणों से वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण अधिकारी उनके जांच एवं सत्यापन के बाद स्वयं द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के पश्चात कर बोर्ड के समक्ष दिनांक 13.11.2017 को प्रस्तुत की गई अपीलों को स्वयं द्वारा ही विद्वान कर लेना चाहिए था।

29. उक्त विवेचन अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण परीक्षण के पश्चात व्यवहारी के विरुद्ध आदेशों को अपास्त कर दिया गया है, उसमें कोई भूल नहीं की गई है। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने पुनः जांच के जो आदेश दिये हैं, वह निर्णय अनावश्यक एवं अनुचित है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने समस्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात् निर्णय पारित किया है तब ऐसे निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड के समक्ष सुनवाई होने के पूर्व ही सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2015-16 का समान तथ्यों पर आधारित पूर्ववर्ती कर निर्धारण आदेश स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने निरस्त कर दिये हैं तो अब कोई आधार अवशेष नहीं रहा है कि प्रकरण में पुनः आदेश पारित किये जावें। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश जो नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये हुए हैं एवं वे विधिक रूप से अस्तित्व में हैं अतः उन्हीं वर्षों के नये कर निर्धारण आदेश पारित करने की विधिक आवश्यकता भी नहीं है। फलतः प्रतिप्रेषित निर्देशों के बिन्दु पर दोनों पक्षों के कथनों को स्वीकार कर प्रतिप्रेषण के निर्देश अपास्त किये जाते हैं तथा स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के वर्ष 2015-16 हेतु पुनः दिनांक 27.3.2018 के आलोक में सदृश तथ्यों पर वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 की आई.टी.सी.

1-10. अपील संख्या-1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1709, 1710, 1711, 1712 व 1713/2017/अलवर.

सत्यापन की रिपोर्ट भी स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जनरेट की गई है जिसमें पूर्ण आईटीसी क्लेम सत्यापित पाया गया है फलतः धारा 25/26 के तहत पारित वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक के समस्त कर निर्धारण आदेश भी स्वतः निरस्त योग्य हो गये हैं, इस तरह अपीलीय आदेश द्वारा उक्त विवादित आदेशों को अपास्त करने के निर्णय की पुष्टि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने अपने स्वतंत्र आदेश दिनांक 27.03.2018 से भी कर दी है। फलतः उक्त समस्त अपीलीय आदेशों में कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं एवं उक्त विवेचन एवं निर्णय अनुसार प्रतिप्रेषण के निर्देश निरस्त कर देने से व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

30. निर्णय सुनाया गया।

31  
20.11.2018

( ओमकार सिंह आशिया )  
सदस्य

( के. लल. जैन )  
सदस्य